प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.03.2026

देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त व गोपनीय सूचनाएं/ डाटा विदेश भेजने वाले कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 मोबाइल फोन बरामद।

- दिनांक 14.03.2026 को थाना कौशाम्बी पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि भोवापुर थाना कौशाम्बी में रहने वाले कुछ युवकों की गतिविधियां समाज के साथ-साथ राष्ट्रहित के लिए ठीक नहीं है, ये लोग रेलवे स्टेशन तथा सुरक्षा बलों की जगहों के वीडियो बनाकर कुछ लोगों को भेजते है तथा पैसे का लालच देकर इस काम को करने के लिए युवाओं को आकर्षित करते है।
- उक्त सूचना पर संज्ञान लेते हुए थाना कौशाम्बी पर मु0अ0सं0 76/2026 धारा 61(2)/152 बी0एन0एस0 व 3/5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 05 पुरूष व 01 महिला को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, जिनके मोबाइल फोन की गैलरी में आपराधिक वीडियो/ फोटो तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के फोटो/ वीडियो व लोकेशन प्राप्त हुए थे।
- प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत अपर पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/ यातायात द्वारा पुलिस उपायुक्त, ट्रांसहिण्डन के पर्यवेक्षण में एवं अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) का गठन किया गया था, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त, इन्दिरापुरम/ अपराध/ अभिसूचना व प्रभारी निरीक्षक कौशाम्बी/ साइबर क्राइम तथा स्वाट टीम अपराध शाखा/ ट्रांसहिण्डन जोन को सम्मिलित किया गया था।
- एस0आई0टी0 द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण को दिनांक 17.03.2026 से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिया गया है तथा अभियुक्तगण से की गयी पूछताछ के आधार दिनांक 20.03.2026 को एस0आई0टी0 द्वारा 09 अभियुक्तो जिसमें 05 बाल अपचारी भी शामिल है, को गिरफ्तार किया गया है।
- आज दिनांक 22.03.2026 को एस0आई0टी0 द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त नौशाद अली उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ के आधार पर उक्त प्रकरण में सम्मिलित एक महिला अभियुक्ता व एक बाल अपचारी को भी गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1-नौशाद अली उर्फ लालू पुत्र जलालुद्दीन निवासी ग्राम नचौली थाना तिगांव फरीदाबाद हरियाणा मूल पता ग्राम हरचंदा थाना काटी मुजफ्फरपुर बिहार। उम्र करीब 20 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 08

2-मीरा पुत्री स्व0 रामजीलाल निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना सदर बाजार मथुरा। उम्र करीब 28 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 05

3- 01 नफर बाल अपचारी

<u>पूछताछ का विवरण-</u> अभि0गण से की गयी विस्तृत पूछताछ में पाया गया है कि उक्त सम्पूर्ण गिरोह का संचालन सीमापार से किया जा रहा था, जिसके मुख्य सदस्य अब तक की पूछताछ के अनुसार सुहैल मलिक, नौशाद अली व समीर उर्फ शूटर है। सुहैल मलिक को दिनांक 14.03.2026 को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अभि0 नौशाद अली द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस गिरोह में जुडा था। पूर्व में उससे देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित सुरक्षाबल के ठिकानों व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन आदि की रेकी कराकर उनके फोटो/ वीडियो तथा जी0पी0एस0 लोकेशन विदेशी नम्बरों पर मंगाये गये थे। फोटो/ वीडियो हेतु उसने प्ले स्टोर से एप इनस्टॉल किया था, जिसके संचालन के सम्बन्ध में भी उसे ट्रेनिंग दी गयी थी। इन्हीं सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। मीरा भी इसी गिरोह से जुडी हुई थी। मीरा का मुख्य कार्य असलाहों की तस्करी का था। मीरा पूर्व में स्पेशल सेल दिल्ली द्वारा मु0अ0सं0 199/2025 धारा 25(8) शस्त्र अधिनियम में 06 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार की गयी थी। वर्तमान में मीरा सीधे सीमापार से प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही थी। वर्तमान में नौशाद के द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्य किये जा रहे थे।

1- कम उम्र के लडकों, जिन्हे तकनीकी ज्ञान जैसे मोबाइल मैकेनिक, कम्प्यूटर मैकेनिक, सी0सी0टी0वी0 ऑपरेटर आदि हो और आर्थिक रूप से कमजोर हो, को पैसे का लालच देकर गिरोह से जोडना।

2- विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुपो में जुडकर ऐसे नवयुवकों को खोजना, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हो, परन्तु पुराना आपराधिक इतिहास न हो।

3- महिलाओं को इस गिरोह से जोडना, ताकि संदेह कम से कम रहे।

4- महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रेकी।

बरामदगी का विवरण-

1- 03 मोबाइल फोन

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सोने-चाँदी के जेवरात व नगद रुपये बरामद।

दिनांक 20.03.2026 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर उपस्थित आकर तहरीर दी गई कि वादी के घर से सोने-चाँदी के जेवरात व नगद रुपये चोरी होना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.03.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त भानु प्रकाश उर्फ गोली पुत्र प्रमोद कुमार वर्मा निवासी गोला मेडिकल स्टोर के पास सरस्वती विहार, थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर

से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से सोने-चाँदी के जेवरात व नगद रूपये आदि बरामद हुए। उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा-317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का आदि हूँ, मैं संगम विहार क्षेत्र में ही रहता हूँ मैंने देखा कि हमारे मोहल्ले में एक मकान में ताला लगा हुआ था तो मैंने ताला तोड़कर घर से सोने-चाँदी के जेवरात व नगद रुपये चोरी कर लिये थे। जिन्हे बेचने के लिये जा रहा था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

भानु प्रकाश उर्फ गोली पुत्र प्रमोद कुमार वर्मा निवासी गोला मेडिकल स्टोर के पास सरस्वती विहार, थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

02 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 02 कमर के गुच्छा सफेद धातु, 04 बिछिया सफेद धातु, 01 चेन सफेद धातु, 01 पैन्डल सफेद धातु, 01 सिक्का सफेद धातु, 01 कंगन पीली धातु, 02 अंगूठी पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु नगदार , 01 चेन पीली धातु, 01 पेन्डल पीली धातु, 01 बरसाती काला छाता, एक तोलिया काली/सफेद धारीदार, नगद कुल बरामदा 01 लाख 31 हजार 500 रुपये व 01 लोहे का सरिया , 01 प्लास , 01 प्लासनुमा धारदार कैंची, 01 लोहे का सब्बल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

उक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम व एएनटीएफ टीम मेरठ द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलो 200 ग्राम अफीम, 156 ग्राम स्मैक (हेरोईन) कीमत लगभग 40 लाख रुपये (इंटरनेशनल मार्किट के अनुसार), 2,520/- रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी व 03 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 21.03.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम व एएनटीएफ टीम मेरठ द्वारा **ऑपरेशन प्रहार** के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान कौशाम्बी बस अड्डे के पीछे की तरफ खाली मैदान से 03 अभियुक्तगण 1. गुलजार त्यागी पुत्र इमामुद्दीन निवासी छोटी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष, 2. आमिर खान पुत्र इकराम निवासी बडी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष व 3. शाहिल पुत्र मौसम निवासी सी- 3 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष को 03 किलो 200 ग्राम अफीम, 156 ग्राम स्मैक (हेरोईन) कीमत लगभग 40 लाख रुपये (इंटरनेशनल मार्किट के अनुसार), 2,520/- रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी व 03 मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/18/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि यह अफीम व स्मैक हम तीनों लोग मिलकर दिल्ली में एक महिला से लेकर आये हैं, उस महिला का नाम पता हम नही जानते हैं। वह हमें कशमीरी बस अड्डे के पास मिली थी। यह माल हम दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों मे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसीक्रम में हम यह माल बेचने की योजना बना रहे थे कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. गुलजार त्यागी पुत्र इमामुद्दीन निवासी छोटी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।
2. आमिर खान पुत्र इकराम निवासी बडी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
3. शाहिल पुत्र मौसम निवासी सी- 3 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

03 किलो 200 ग्राम अफीम, 156 ग्राम स्मैक (हेरोईन) कीमत लगभग 40 लाख रूपये (इंटरनेशनल मार्किट के अनुसार), 2,520/- रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी व 03 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- अभियुक्त गुलजात त्यागी उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड व थाना इंदिरापुरम पर चोरी के 06 अभियोग, आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग, हत्या के प्रयास का 01 अभियोग, एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग कुल 12 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- अभियुक्त आमिर खान उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर मारपीट व एनडीपीएस एक्ट का 01-01 अभियोग, कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- अभियुक्त साहिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड व एएनटीएफ मेरठ पुलिस टीम।